

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर
(एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल)

क0/लो.नि./ई.एम.सी./2019/414

जबलपुर दिनांक 02/03/19

आदेश

म0प्र0 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश क्रमांक 225/निर्वा.पर्य/लो.स./2019 जबलपुर दिनांक 07.02.2019 के परिपेक्ष्य में लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल में सहायक व्यय प्रेक्षक (A.E.O.) दल का तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा गठन किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	दूरभाष क्रमांक
1	श्री आनंद कुमार कुजुर	(सहा. लेखा परीक्षा अधिकारी)	महानिदेशक लेखा परीक्षा कार्यालय पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर	97524 89454
रिजर्व	श्री व्ही.सी. जेम्स	लेखाधिकारी	लेखा कार्यालय तोप गाड़ी निर्माणी जबलपुर	94256 81018

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जबलपुर
जबलपुर दिनांक 02/03/19

क0/लो.नि./ई.एम.सी./2019/414

प्रतिलिपि:-

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- पुलिस अधीक्षक, जबलपुर को सूचनार्थ एवं लेख है कि सहायक व्यय प्रेक्षक के लिये एक निजी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- अपर कलेक्टर, शहरी एवं ग्रामीण को सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ कि एवं एक स्थानीय सिम कार्ड उपलब्ध करावे।
- समस्त एस.डी.एम., जिला जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी अधिकारी, मतदान दल गठन/सामग्री वितरण/सामग्री वापसी/वाहन शाखा/मानदेय वितरण/स्ट्रॉंग रुम/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, जबलपुर।
- समस्त दल प्रभारी/संलग्न कर्मचारी श्री को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दिनांक 02.03.19 को समय 09:00 बजे कलेक्टर जिला जबलपुर के सभाकक्ष में देंगे।
- समस्त कार्यालय प्रमुख की ओर सूचनार्थ एवं संबंधितों को तामिल कराने हेतु।
- निर्वाचन पर्यवेक्षक, जिला जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी अधिकारी, मार्गदर्शन कक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।
- जिला जनसंपर्क अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी अधिकारी, वाहन शाखा कलेक्टर जबलपुर को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सहायक व्यय प्रेक्षक को एक वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जबलपुर